



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47976

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3247 वर्ष 2026

अनिल कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 2 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अश्वनी कुमार सोनी, शुभम पाल

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार सोनी तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन यह है कि उसे अनुकम्पा के आधार पर समूह 'घ' के पद पर दिनांक 01.09.1991 को नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि उसे अपेक्षित वर्षों की सेवा पूर्ण होने के उपरांत ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए था, तथापि उसे वर्ष 2022 में 2012-13 से ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया निस्तारण प्रत्यर्था संख्या 2 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. पक्षकारों की बहस को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्था संख्या 2 के समक्ष एक समग्र अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसके साथ याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न हो। प्रत्यर्था संख्या 2 उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधि अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार कर निर्णय करेगा।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)